राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1868/2014 जिला –जयपुर

उनवान : मैसर्स साई फूड्य, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, राजस्थान– वृत–प्रथम, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी प्रथम,वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

10.11.2014

अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014 में विवादित मांग राशि रू. 5,08,643/– में से रू. 3,36,850/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 1,71,793 की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष वर्ष 2013–14 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014 को पारित किया गया था,जिसमें अपीलार्थी द्वारा French Fries, Smily, Cheese Shots, Veggie Burger, Nuggets, Mogarella Cheese Strick, Aloo Patty, Aloo Tikki Patty आदि की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर कर वसूल किया है जबकि इस अवधि में उक्त माल की बिक्री पर 14 से कर देयता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मानी जाकर अधिनियम की धारा 26,55,65 एवं 61 आलोच्य अवधि के कर निर्धारण पारित करते हुए मांग सृजित की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2014 पारित करते हुए विवादित मांग राशि रू. 5,08,643/– में से रू. 3,36,850/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रू.1,71,793/–की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अवशेष राशि रू. 1,71,793/– के स्थान पर रू. 1,88,646/–की वसूली स्थगित करने की प्रार्थना की गई है।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रीत माल French Fries, Smily, Cheese Shots, Veggie Burger, Nuggets, Mogarella Cheese Strick, Aloo Patty, Aloo Tikki Patty अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 167 से कवर होने के कारण आलोच्य अवधि में 5 प्रतिशत की दर स कर योग्य है, इसलिए उसके सप्लाई पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है व जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अनुसूची 1 से 6 के अन्तर्गत 14 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए आदेश दिनांक 24.09.2014 के द्वारा अन्तर कर,ब्याज एवं शास्ति में से रू. 3,36,850/– पर स्थगन प्रदान किया गया है परन्तु शेष रू. 1,71,793/–की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया है इसलिए सुविधा सन्तुल अपीलार्थी के पक्ष में होने से शेष रू. 1,71,793/– के स्थान पर 1,88,850/–पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट है कि विक्रीत माल के शैड्यूल की प्रविष्ठि संख्या 107 में होने अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण व विधिक बिन्दु तथा तदनुसार कर दर की देयता का बिन्दु विचाराधीन है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014 में विवादित मांग राशि रू. 5,08,643/– में से रू. 3,36,850/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रू. 1,71,793/– की वसूली पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है ।अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशि के बजाय अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, स्थगन हेतु अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुशील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष